भारत निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

दिशा न्यूज। बारां.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज नई दिल्ली स्थित भारत लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय संस्थान (IIIDEM) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने किया।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर अधिकारियों BLO पर्यवेक्षकों और निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारियों (ERO) सहित कुल 371 जमीनी स्तर के

चुनाव अधिकारी भाग ले रहे हैं। इनमें बिहार के 306 BLO हरियाणा के 30 ERO और BLO पर्यवेक्षक तथा एनसीटी दिल्ली के 35 ERO और BLO पर्यवेक्षक शामिल हैं।

उद्घाटन भाषण में, CEC\ ज्ञानेश कुमार ने बताया कि ठस्दे को शीघ्र ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे डोर–टू–डोर सत्यापन के दौरान सुगमता से कार्य कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रतिभागी अपने–अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में अन्य ठस्दे को भी प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचकों का पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और म्ब्प् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मतदाता पंजीकरण, प्रपत्रों की प्रक्रिया और क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के तहत अंतिम निर्वाचक नामावली के विरुद्ध अपील प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच संपन्न विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभ्यास के बाद बिहार, हरियाणा और एनसीटी दिल्ली से कोई अपील दर्ज नहीं की गई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, भूमिका अनुसार अभ्यास, घर–घर सर्वेक्षण का अनुकरण, केस स्टडी और प्रपत्र 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA) और अन्य आईटी टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स के तकनीकी प्रदर्शन और मॉक पोल का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।